

24क

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक,
डा० राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय,
गोमती नगर लखनऊ।

संख्या- प्रशि0प्रको0/02/2014/

विषय- बाबा एजुकेशन सोसाइटी एण्ड इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स, 56-मटियारी, चिनहट,
लखनऊ की जी0एन0एम0 छात्र/छात्राओं को व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किये जाने के
सम्बन्ध में।

लखनऊ : दिनांक 21/11/2017

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक निदेशक, बाबा एजुकेशन सोसाइटी एण्ड इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स
लखनऊ के प्रार्थना पत्र दिनांक 20.11.2017 एवं शासनादेश संख्या-1013/पॉच-8-2015-एन(138)
/2008, टी0सी0 दिनांक 23.04.2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस संबंध में कहना है कि शासन के पत्र संख्या-1013/पॉच-8-2015-एन(138)/2008 टी0सी0
दिनांक 23.04.2015 एवं शासनादेश संख्या-2519/पॉच-8-2012-एन(138)/2008, दिनांक 25.10.2012 में
दी गयी शर्तों के अर्धीन बाबा एजुकेशन सोसाइटी एण्ड इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स लखनऊ में प्रशिक्षणरत
(80) जी0एन0एम0 छात्र/छात्राओं को डा० राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय गोमती नगर लखनऊ
के अर्धीन (वर्ष 2017) हेतु व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने की अनुमति निम्न शर्तों व प्रतिबंधों के अर्धीन
प्रदान की जाती है।

- 1- सामान्य उपचारिका प्रशिक्षुओं की डिप्टी जिला चिकित्सालय पर नियमित रूप से कार्यरत उपचारिकाओं के
साथ लगाये जायेंगी जितने मरीजों को चिकित्सीय सुविधा सुचारु रूप से प्राप्त होगी तथा निजी संस्था की
उपचारिका प्रशिक्षुओं के राजकीय चिकित्सालयों में कोई दुर्घटना/संघर्षों की इति होने की समावना
अधीक्षक जिला चिकित्सालय संबंधित संस्था को पत्र प्रेषित कर कार्यवाही की संस्तुति करेंगे तथा मुख्य
चिकित्सा अधीक्षक उक्त प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण पूर्ण होने पर व्यवहारिक प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र निर्गत करेंगे।
उक्त व्यवहारिक प्रशिक्षण न्यूनतम 06 माह की अवधि का होगा।
- 2- सामान्य उपचारिका प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण संस्था द्वारा प्रत्येक उपचारिका प्रशिक्षु के दर से छ
माह हेतु रूपया-1000/- रूजर चार्ज के रूप में जमा किया जायेंगा।
- 3- निजी क्षेत्र के सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण संस्थानों को अधिकतम 05 बैच को ही व्यवहारिक प्रशिक्षण दिय
जाने की अनुमति प्रदान की जायेंगी। उक्त अनुमति मुख्य विकास अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी की
संयुक्त आख्या पर महानिदेशक की संस्तुति के आधार पर शासन द्वारा 05 वर्षों हेतु निर्गत की जायेंगी।
- 4- सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण संस्था की शासन द्वारा निर्गत अनुमति का नवीनीकरण गुणवत्ता के आधार पर
वर्ष-प्रति वर्ष प्रस्तर-3 में वर्णित अवधि तक के लिये महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0 द्वारा
किया जायेंगा।
- 5- उक्त सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण संस्थानों को दी गयी अनुमति को बिना कोई कारण बताये किसी भी समय
शासन द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)

पत्र संख्या-प्रशि0प्रको0/02/2014/7468

तददिनांक।

प्रतिलिपि: प्रधानाचार्य, बाबा एजुकेशन सोसाइटी एण्ड इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स, 56-मटियारी, चिनहट,
लखनऊ

Baba Educational Society
Institute Of Paramedical
College of Nursing
Chinhat, Lucknow-226028

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)

अति महत्त्वपूर्ण

कार्यालय— पल्स पोलियो / टीकाकरण विभाग डा० राम मनोहर लोहिया सयुक्त चिकित्सालय
गोमती नगर, लखनऊ

प्रभु

डा० एस०के०श्रीवास्तव

मॉडल अधिकारी

पल्स पोलियो कार्यक्रम

डा० राम मनोहर लोहिया सयुक्त चिकित्सालय गोमती नगर जोन, लखनऊ

सेवा में

निदेशक

बाबा पैरामेडिकल कालेज चिनहट

लखनऊ

दिनांक 19.06.2017

विषय — पल्स पोलियो अभियान चरण 2 जुलाई 2017 में डियूटी के सम्बन्ध में।

महोदय,

दिनांक 02/07/17 से 07/07/17 तक 80 पैरामेडिकल छात्रों (ए०एन०एम० एव
जी०एन०एम०) की डियूटी पल्स पोलियो अभियान के अन्तर्गत गोमती नगर क्षेत्र में लगाई गई है। एवं
पोलियो प्रशिक्षण दिनांक 22/06/2017 एवं 27/06/2017 को समय 10 बजे से 5 बजे तक होगी।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त पैरामेडिकल छात्रों को भेजने का कष्ट करें।

कार्यक्रम विवरण				
क्र.सं.	दिनांक	समय	कार्यक्रम स्थल	कार्यक्रम
1	22/06/17	10 बजे से 1 बजे तक 2 बजे से 5 बजे तक	RML Hospital 50	पोलियो प्रशिक्षण, समाकक्ष डा० राम मनोहर लोहिया सयुक्त चिकित्सालय
2	27/06/17	10 बजे से 1 बजे तक 2 बजे से 5 बजे तक	RML Hospital 30	पोलियो प्रशिक्षण, समाकक्ष डा० राम मनोहर लोहिया सयुक्त चिकित्सालय

डा० एस०के०श्रीवास्तव
पल्स पोलियो कार्यक्रम
गोमती नगर जोन, लखनऊ

फोन नं० 9415080334, 9956798741

संख्या-3731/पीए-8-2014-एन(136)
दिनांक 22.12.2014
प्रति लिपि प्रधानाचार्य, बाबा एजूकेशन सोसाइटी
लखनऊ

विषय- बाबा एजूकेशन सोसाइटी एण्ड इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स, 56-नटियारी, चिनहट, लखनऊ की औद्योगिक/व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने की संख्या में।

संदर्भ- अथवा लखनऊ विभाग निदेशक, बाबा एजूकेशन सोसाइटी एण्ड इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स लखनऊ, की प्रतिलिपि पर दिनांक 15.12.2014 एवं शासनादेश संख्या-3731/पीए-8-2014-एन(136)/2008 दिनांक 22.12.2014 का संदर्भ रख कर करने का संघर्ष करें।

इस संघर्ष में बताना है कि शासन के पत्र संख्या-3731/पीए-8-2014-एन(136)/2008 दिनांक 22.12.2014 एवं शासनादेश संख्या-2018/पीए-8-2012-एन(136)/2008 दिनांक 20.10.2012 में दी गयी शर्तों के अधीन बाबा एजूकेशन सोसाइटी एण्ड इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स लखनऊ में प्रशिक्षण (एन) औद्योगिक/व्यावहारिक प्रशिक्षण को मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अधीन सामुदायिक स्वास्थ्य विभाग संघर्ष से (मई 2018) हेतु व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने की अनुमति निम्न शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है।

- 1- शासनादेश व्यवहारिक प्रशिक्षण की दिशे में जिला चिकित्सालय पर निर्दिष्ट रूप से कार्यरत उपचारिकों को सहायता प्रदान करने के लिये शर्तों को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण प्रदान करने से प्राप्त होगी तथा निजी संस्था की उपचारिक प्रशिक्षण के राजकीय चिकित्सालयों में कोई सुरक्षा/रोकथाम की शर्त होने की संभावना अधिक जिला चिकित्सालय संबंधित संस्था को पर धेरेण कर कार्यवाही की संसुति करने तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रशिक्षण पूर्ण होने पर व्यवहारिक प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र निर्यात करने। उक्त व्यवहारिक प्रशिक्षण सुव्यवस्था 05 वर्ष की अवधि का होगा।
- 2- शासनादेश व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण संस्था द्वारा प्रत्येक उपचारिक प्रशिक्षु की दर से 10 लाख हेतु संख्या-1000/- रुबर धारण के रूप में जमा किया जायेगा।
- 3- निजी क्षेत्र के सामान्य उपचारिक प्रशिक्षण संस्थानों को अधिनियम 05 ईड को ही व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने की अनुमति प्रदान की जायेगी। उक्त अनुमति मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी की समुदायिक स्वास्थ्य पर महानिदेशक की संसुति के अधीन पर शासन द्वारा 05 वर्ष हेतु निर्यात की जायेगी।
- 4- सामान्य उपचारिक प्रशिक्षण संस्था की शासन द्वारा निर्यात अनुमति का नवीनीकरण सुव्यवस्था के अधीन पर सर्व-प्रति एवं प्रमाण-3 में वर्णित शर्तों के निर्यात महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संघर्ष, चक्रा द्वारा किया जायेगा।
- 5- उक्त सामान्य उपचारिक प्रशिक्षण संस्थानों को दी गयी अनुमति को बिना कोई कारण बताये किसी भी समय शासन द्वारा निर्यात किया जा सकता है।

पत्र संख्या-प्रशि0प्रको0/02/2014/

प्रतिलिपि प्रधानाचार्य, बाबा एजूकेशन सोसाइटी एण्ड इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स, 56-नटियारी, चिनहट, लखनऊ

तददिनांक।

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद-लखनऊ।

पत्रांक: मु0चि0अ0/निजीचि0प्र0/प्रशि0/2017/16216-4

दिनांक: 22/12/17

1. प्रतिलिपि चिकित्साधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिनहट, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस निर्देश के साथ प्रेषित कि महानिदेशालय के उपरोक्त पत्र में वर्णित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन व्यवहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करायें तथा इस तथ्य का विशेष ध्यान रखा जाये कि प्रशिक्षण अवधि में चिकित्सालय का राजकीय कार्य किसी भी दशा में बाधित न होने पायें।
2. प्रतिलिपि प्रधानाचार्य, बाबा एजूकेशन सोसाइटी एण्ड इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स, 56-नटियारी, चिनहट, लखनऊ को सूचनार्थ।
3. प्रतिलिपि क्षेत्रीय अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. प्रतिलिपि महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्य, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

Baba Educational Society
Institute Of Paramedical
College of Nursing
Cantt, Lucknow-226028

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
लखनऊ

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संवा में

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
लखनऊ।

संख्या-प्रशि0प्रको0/02/2014 / 4335

लखनऊ दिनांक 1/11/2019

विषय: जी0एन0एम0 छात्र/छात्राओं को व्यावहारिक प्रशिक्षण हेतु अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,


उपर्युक्त विषयक कृपया निदेशक, बाबा एजुकेशन सोसाइटी एण्ड इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स, लखनऊ के पत्र संख्या-486/2019, दिनांक 01.11.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि महानिदेशालय के पत्र संख्या-प्रशि0प्रको0/02/2014 /4313 दिनांक 30.08.2019 में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चिनहट का अंकन नहीं है जिसके कारण मुख्य चिकित्सा अधिकारी लखनऊ द्वारा चिकित्सा अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चिनहट, लखनऊ का आवंटन आदेश निर्गत नहीं किया गया है।

इस सम्बन्ध में कहना है कि शासन के पत्र 3731/पांच-8-2014-एन(138)/2008, टी0सी0 दिनांक 03.12.2014 में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चिनहट, लखनऊ का अंकन किया गया है किन्तु महानिदेशालय के पत्र दिनांक 30.08.2019 में टंकण त्रुटिवश सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चिनहट, लखनऊ का अंकन नहीं किया गया है।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि बाबा एजुकेशन सोसाइटी एण्ड इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स, लखनऊ में प्रशिक्षणरत (60) जी0एन0एम0 छात्र/छात्राओं को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चिनहट, लखनऊ में (वर्ष 2019) व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने का कष्ट करें। शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,


निदेशक (प्रशिक्षण)
तददिनांक

संख्या : प्रशि0प्रको0/02/2014 /

प्रतिलिपि : निदेशक, बाबा एजुकेशन सोसाइटी एण्ड इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-486/2019, दिनांक 01.11.2019 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)

Baba Educational Society
Institute Of Paramedical
College of Nursing
Chinhat, Lucknow-226028

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सं. २

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
लखनऊ।

संख्या- प्रसि०प्रको०/०२/२०१४

लखनऊ दिनांक- 29/12/2014

विषय- बाबा एजुकेशन सोसाइटी एण्ड इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल, 56 मटियारी, चिनहट, लखनऊ, की एनएमओ छात्र/छात्राओं को व्यावहारिक प्रशिक्षण हेतु अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासन वर संख्या-3731/पॉच-8-2014 एन (138) 2008 टी0सी दिनांक- 3-12-2014 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसकी प्रतिलिपि आप को पृष्ठकृत है।

इस संबंध में कहना है कि शासन के पत्र संख्या 3731/पॉच-8-2014-एन (138)/2008 टी0सी दिनांक-3-12-2014 एवं शासनादेश संख्या-2519/पॉच-8-2012-एन (138)/2008, दिनांक- 25.10.2012 में दी गयी शर्तों के अधीन बाबा एजुकेशन सोसाइटी एण्ड इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल, 56 मटियारी, चिनहट, लखनऊ, में प्रशिक्षण छात्र/छात्राओं को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, चिनहट, लखनऊ से व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने की अनुमति निम्न शर्तों व प्रतिबंधों के अधीन प्रदान की जाती है।

- 1- सामान्य उपचारिका प्रशिक्षुओं की डिप्लोमा जिला चिकित्सालय पर नियमित रूप से कार्यरत उपचारिकाओं के साथ लगायी जायेगी जिससे मरीजों को चिकित्सीय सुविधा सुचारु रूप से प्राप्त होगी तथा निजी संस्था की उपचारिका प्रशिक्षुओं के राष्ट्रीय चिकित्सालयों में कोई दुर्घटना/रोगियों की क्षति होने की सम्भावना अर्थात् जिला चिकित्सालय निर्धारित संस्था को पत्र पंक्ति कर कार्यवाही की संस्तुति करेंगे तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी उक्त प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण पूर्ण हान पर व्यावहारिक प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र निर्गत करेंगे। उक्त व्यावहारिक प्रशिक्षण न्यूनतम 06 माह की अवधि का होगा।
- 2- सामान्य उपचारिका प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण संस्था द्वारा प्रत्येक उपचारिका प्रशिक्षु की दर से छः माह हेतु रूपया-1000/- यूजर चार्ज के रूप में जमा किया जायेगा।
- 3- निजी क्षेत्र के सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण संस्थानों का अधिकतम 05 ईंच को ही व्यावहारिक प्रशिक्षण दिये जाने की अनुमति प्रदान की जायेगी। उक्त अनुमति मुख्य विकास अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी की संयुक्त आख्या पर महानिदेशक की संस्तुति के आधार पर शासन द्वारा 05 को हेतु निर्गत की जायेगी।
- 4- सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण संस्था की शासन द्वारा निर्गत अनुमति का नवीनीकरण गुणवत्ता के आधार पर र्व-प्रति र्व प्रस्तर-3 में वर्णित अवधि तक ले लिये महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0 द्वारा किया जायेगा।
- 5- उक्त सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण संस्थानों को दी गयी अनुमति को दिना कोई कारण बताये किसी भी समय शासन द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

अपर निदेशक(प्रशिक्षण)

संख्या- प्रसि०प्रको०/०२/२०१४/ 1-764-65 तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, चिकित्सा अनुभाग-8

2- बाबा एजुकेशन सोसाइटी एण्ड इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल, 56 मटियारी, चिनहट, लखनऊ

Baba Educational Society
Institute Of Paramedical
College of Nursing
Chinhat, Lucknow-226028

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials


क्रमांक: मू/चि/आ/2015/ 175/6

दिनांक: 29/12/14

1- प्रतिलिपि अधीक्षक, अनुसूचनाएं, स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश, चिहवाटी, लखनऊ, के माध्यम से प्राप्त महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, के सं. मू/चि/आ/2014/ 1034-65 दिनांक 29.12.14 के क्रम में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि बाबा एजुकेशनल सोसायटी एण्ड इस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल, 58 मटियारी चिहवाटी, लखनऊ की एडमिनिस्ट्रेशन, छात्र, छात्रिकाओं को आवश्यक प्रशिक्षण हेतु नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

2- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग- 8
- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- अपर निदेशक, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- निदेशक, बाबा एजुकेशनल सोसायटी एण्ड इस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल, 58 मटियारी चिहवाटी, लखनऊ।
- अपर मुख्य चिकित्साधिकारी/नोडल अधिकारी प्रशिक्षण, लखनऊ।


मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
लखनऊ।



दिनांक : 29.03.11

पत्रांक : 029/11

सेवा में,

अधीक्षक

सी.एच.सी. चिनहट,


लखनऊ

विषय : आक्जीलरी नर्सस एण्ड मिडवाइव्स (ए.एन.एम.) प्रशिक्षण के प्रशिक्षणार्थियों का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में फील्ड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराने हेतु स्थाई अनुमति देने के सम्बन्ध में।

महोदय,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी का फुटनोट दिनांक 21.11.08 के क्रम में संस्थान के ए.एन.एम. प्रशिक्षणार्थियों को फील्ड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए संस्थान को स्थाई अनुमति प्राप्त है। जिसके क्रम में प्रशिक्षणार्थियों को उपरोक्त प्रशिक्षण के लिए आपके पास भेजा जा रहा है।

कृपया प्रशिक्षण की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।


(आर.के. वाजपेयी)
निदेशक

संलग्नक : 1

*Kindly affix
in next batch.*

*2/4/11 from health.
H*

Baba Educational Society
Institute Of Paramedical
College of Nursing
Chinhat, Lucknow-226028



School of Nursing
BABA Educational Society
Institute of Para-Medicals

पत्रांक : 326 / 12

दिनांक : 27.12.2012

सेवा में,


अधीक्षक,
सी.एच.सी. चिनहट,
लखनऊ।

विषय: आक्जीलरी नर्सस एण्ड मिडवाइव्स (ए.एन.एम.) प्रशिक्षण के प्रशिक्षणार्थियों का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में फील्ड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराने हेतु स्थाई अनुमति देने के सम्बन्ध में।

महोदय,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी का फुटनोट दिनांक 21.11.2008 के क्रम में संस्थान के ए.एन.एम. प्रशिक्षणार्थियों को फील्ड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए संस्थान को स्थाई अनुमति प्राप्त है। जिसके क्रम में प्रशिक्षणार्थियों को उपरोक्त प्रशिक्षण के लिए आपके पास 2 माह के लिए भेजा जा रहा है।

कृपया 2 माह के प्रशिक्षण की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।


(आर.के. वाजपेयी)
निदेशक

संलग्नक : 1

Baba Educational Society
Institute Of Paramedical
College of Nursing
Chinhut, Lucknow-226028



School of Nursing

BABA Educational Society

Institute of Para-Medicals

पत्र सं० - 533/08

दिनांक - 21.11.08

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
लखनऊ

विषय-आक्लरी नर्सिंग एण्ड मिडवाइफरी (ए.एन.एम.) प्रशिक्षण के प्रशिक्षणार्थियों का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में फील्ड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराने हेतु स्थाई अनुमति देने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

बाबा एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा संचालित इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल में संचालित ए.एन.एम. प्रशिक्षण हेतु फील्ड ट्रेनिंग के लिये कृपया अपने अधीनस्थ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिनहट, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मल्लौहर जो ब्लॉक चिनहट क्षेत्र में स्थापित प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराने हेतु संस्था को अनुमति देने की कृपा करें एवं बी.आर.डी. हास्पिटल, महानगर, लखनऊ में क्लिनिकल प्रशिक्षण हेतु अनुमति देने की कृपा करें।

महोदय संस्था को ए.एन.एम. प्रशिक्षण चलाने हेतु उ०प्र० शासन से अनिवार्यता प्रमाण पत्र है तथा भारतीय उपचर्या परिषद् नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त एवं उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी लखनऊ से सम्बद्ध है ।

Supdt Ctr Chihat

Supdt BPD Hosp

*Please provide necessary
Cooperation. Shafiq*

21-11-08

Chief Medical Officer
LUCKNOW

(आर.के.वाजपेयी)
निदेशक

Baba Educational Society
Institute Of Paramedical
College of Nursing
Chihat, Lucknow-226028

प्रेषक : मुख्य चिकित्सा अधिकारी
जनपद-लखनऊ।

सेवा में
महानिदेशक
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक : मु0चि0अ0/निजी संस्था/व्य0प्रशि0/प्रस्ताव/2014/

दिनांक : 11-6-14
दिनांक : 10.05.2014

विषय : बाबा एजुकेशनल सोसाइटी एण्ड इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरोडिकल, 56-मटियारी (विनहट), लखनऊ के जी0एन0एन0/ए0एन0एन0 छात्र-छात्राओं को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-विनहट में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत करना है कि बाबा एजुकेशनल सोसाइटी एण्ड इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरोडिकल, 56-मटियारी (विनहट), लखनऊ के पत्र दिनांक 25.03.2014 द्वारा उनके संस्थान में अध्ययनरत जी0एन0एन0/ए0एन0एन0 छात्र-छात्राओं को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-विनहट, लखनऊ में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है जिसके क्रम में शासनादेश संख्या : 2519/पीय-8-2012-एन0 (138)/2008 दिनांक 25.10.2012 एवं महानिदेशालय परिपत्र संख्या : प्रशि0 प्रवके0/5096-98 दिनांक 26.11.2012 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ एवं मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ की संयुक्त आख्या एवं संस्तुति सहित प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है।

अवगत करना है कि चक्रानुसार प्रदत्त निर्देशों के अनुकूलन में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की गयी जिस पर मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा संस्तुति प्रदान की गयी है जिसे पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक : सशोका (कुल पृष्ठ- 05)

भवदीय

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
लखनऊ

पत्रांक : मु0चि0अ0/निजी संस्था/व्य0प्रशि0/प्रस्ताव/2014/ 5389-1

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्त के क्रम में सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिला अधिकारी, लखनऊ।
2. मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, डॉ० राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय, गोमती नगर, लखनऊ।
4. प्रधानाचार्य बाबा एजुकेशनल सोसाइटी एण्ड इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरोडिकल, 56-मटियारी (विनहट), लखनऊ।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
लखनऊ



School of Nursing

BABA Educational Society
Institute of Para-Medicals

पत्रांक : 27 / 12

दिनांक : 17.01.2012

सेवा में,


अधीक्षक
सी.एच.सी. चिनहट,
लखनऊ

विषय: आक्जीलरी नर्सस एण्ड मिडवाइव्स (ए.एन.एम.) प्रशिक्षण के प्रशिक्षणार्थियों का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में फील्ड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराने हेतु स्थाई अनुमति देने के सम्बन्ध में।

महोदय,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी का फुटनोट दिनांक 21.11.2008 के क्रम में संस्थान के ए.एन.एम. प्रशिक्षणार्थियों को फील्ड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए संस्थान को स्थाई अनुमति प्राप्त है। जिसके क्रम में प्रशिक्षणार्थियों को उपरोक्त प्रशिक्षण के लिए आपके पास 1 माह के लिए भेजा जा रहा है।

कृपया 1 माह के प्रशिक्षण की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।


(अ.क. वाजपेयी)
निदेशक

संलग्नक : 1


07/01/12

Baba Educational Society
Institute Of Paramedical
College of Nursing
Chinhat, Lucknow-226028

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक,
डा० राम मनोहर लोहिया,
संयुक्त चिकित्सा गोमती नगर,
लखनऊ।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका,
जिला महिला चिकित्सालय,
मेरठ।

संख्या- प्रशि०प्रको० / /2014/

लखनऊ दिनांक-28/4/2015

विषय- जी०एन०एन० छात्र/छात्राओं को व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या-1013/पॉच-8-2015-एन(138)/2008,टी०सी०, दिनांक-23.04.2015 का संदर्भ ग्रहण करें।

इस संबंध में कहना है कि शासन के पत्र संख्या-1013/पॉच-8-2015-एन(138)/2008,टी०सी०, दिनांक-23.04.2015, एवं शासनादेश संख्या-2519/पॉच-8-2012-एन(138)/2008, दिनांक-25.10.2012 में दी गयी शर्तों के अर्धन बाबा एजूकेशन सोसाइटी एवं इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स, 56- मटियारी, चिनहट, लखनऊ, डा० राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय, गोमती नगर, लखनऊ, एवं आई०आई०एन०टी० कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, गंगानगर, मेरठ, जिला महिला चिकित्सालय मेरठ, में प्रशिक्षणरत जी०एन०एन० छात्र/छात्राओं को जिला महिला चिकित्सालय मेरठ, से व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने की अनुमति निम्न शर्तों व प्रतिबन्धों के अर्धन प्रदान की जाती है।

- 1- सामान्य उपचारिका प्रशिक्षुओं की डियूटी जिला चिकित्सालय पर नियमित रूप से कार्यरत उपचारिकाओं के साथ लगायी जायेगी जिससे मरीजों को चिकित्सकीय सुविधा सुचारु रूप से प्राप्त होगी तथा निजी संस्था की उपचारिका प्रशिक्षुओं के राजकीय चिकित्सालयों में कोई दुर्घटना/रोगियों की शर्ति होने की संभावना अधीक्षक जिला चिकित्सालय संबंधित संस्था को पत्र प्रेषित कर कार्यवाही की सन्तुति करेंगे तथा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक उक्त प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण पूर्ण होने पर व्यवहारिक प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र निर्गत करेंगे। उक्त व्यवहारिक प्रशिक्षण न्यूनतम 06 माह की अवधि का होगा। सामान्य उपचारिका प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण संस्था द्वारा प्रत्येक उपचारिका प्रशिक्षु की दर से छ माह हेतु रकम-1000/- यूजर चार्ज के रूप में जमा किया जायेगा।
- 2- निजी क्षेत्र के सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण संस्थानों को अधिकतम 05 बैच को ही व्यवहारिक प्रशिक्षण दिये जाने की अनुमति प्रदान की जायेगी। उक्त अनुमति मुख्य विकास अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी की संयुक्त आस्था पर महानिदेशक की संस्तुति के आधार पर शासन द्वारा 05 वर्षों हेतु निर्गत की जायेगी।
- 3- सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण संस्था की शासन द्वारा निर्गत अनुमति का नवीनीकरण गुणवत्ता के आधार पर वर्ष-प्रति वर्ष प्रस्तर-3 में वर्णित अवधि तक के लिये महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र० द्वारा किया जायेगा।
- 4- उक्त सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण संस्थानों को दी गयी अनुमति को बिना कोई कारण बताये किसी भी समय शासन द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय

अपर निदेशक(प्रशिक्षण)

तददिनांक

पत्र संख्या-प्रशि०प्रको०/2398/2014 8365-67

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग-8,
2. बाबा एजूकेशन सोसाइटी एवं इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स, 56- मटियारी, चिनहट, लखनऊ
3. आई०आई०एन०टी० कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, गंगानगर, मेरठ,

Baba Educational Society
Institute Of Paramedical
College of Nursing
Chinhat, Lucknow-226028

अपर निदेशक(प्रशिक्षण)

पषक,

निदेशक एवं प्रमुख अधीक्षक,
डा० राम मनोहर लोहिया संयुक्त,
चिकित्सालय, गोमती नगर, लखनऊ।

सेवा में,

निदेशक,
स्कूल आफ नर्सिंग
बाबा एजुकेशन सोसाइटी,
इन्स्टीट्यूट आफ पैरामेडिकलस, लखनऊ।

सख्या

विशय:-

निदे०प्र०अधी०/रा०म०लो०चि०/प्रशि०/2017 / 6349 दिनांक 15 दिसम्बर, 2017
डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी की प्रशिक्षार्थियों को व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आप अपने कार्यालय के पत्र संख्या- 290/17 दिनांक 22-11-2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। संदर्भित पत्र के माध्यम से आपने अपने संस्थान के डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी के 60 छात्र/छात्राओं को व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु डा० राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय में अनुमति दिये जाने का अनुरोध किया है। आपके उक्त पत्र के क्रम में आपके संस्थान के डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी के 60 छात्र/छात्राओं को निम्न शर्तों के अधीन दिनांक 01-01-2018 से छ माह हेतु व्यवहारिक प्रशिक्षण की अनुमति शासन/महानिदेशालय के पत्रांक-प्रशि० प्रका०/02/2014/7467 दिनांक 21-11-2017 में द्वारा निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है।

- 1- प्रशिक्षण हेतु रु० 1000=00 प्रति छात्र शुल्क जमा करना सुनिश्चित करें। शुल्क जमा करने के उपरान्त ही प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
- 2- प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से प्रत्येक छात्र का नियमित रूप से उपस्थित होकर चिकित्सालय में प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- 3- प्रशिक्षण अवधि में यदि कोई प्रशिक्षणार्थी अनुपस्थित होता है या छोड़ता है तो उक्तका प्रशिक्षण समाप्त कर दिया जायेगा। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित प्रशिक्षणार्थी/आपके संस्थान का होगा।
- 4- प्रशिक्षण अवधि में चिकित्सालय के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण अवधि में इस चिकित्सालय से कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी।

भवदीय,



(संजीव कुमार)

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ;
उक्तदिनांक

पृ०स०
प्रतिलिपि

निदे०प्र०अधी०/रा०म०लो०चि०/प्रशि०/2017 /

निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- नर्सिंग अधीक्षक, डा० राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय, गोमती नगर, लखनऊ को सूचनाार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप अपने निर्देशन में उक्त संस्थान के छात्र/छात्राओं को प्रशिक्षण प्रदान करना सुनिश्चित करें।
- 2- चिकित्सा अधीक्षक, डा० राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय, लखनऊ।
- 3- संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा अनुभाग-8 उ०प्र० शासन।
- 4- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, प्रशिक्षण अनुभाग, उ०प्र०, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।

(संजीव कुमार)

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ;

Baba Educational Society
Institute Of Paramedical
College of Nursing
Chinhath, Lucknow-226028

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संघ में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
लखनऊ।

संख्या- प्रशि0प्रको0/02/2014/29

लखनऊ : दिनांक 18/12/2017

विषय- बाबा एजूकेशन सोसाइटी एण्ड इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स, 56-गटियारी, चिनहट, लखनऊ की जी0एन0एन0 छात्र/छात्राओं को व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक निदेशक, बाबा एजूकेशन सोसाइटी एण्ड इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स लखनऊ के प्रार्थना पत्र दिनांक 15.12.2017 एवं शासनादेश संख्या-3731/पॉच-8-2014-एन(138)/2008, टी0सी0 दिनांक 03.12.2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस संबंध में कहना है कि शासन के पत्र संख्या-3731/पॉच-8-2014-एन(138)/2008, टी0सी0 दिनांक 03.12.2014 एवं शासनादेश संख्या-2519/पॉच-8-2012-एन(138)/2008, दिनांक 25.10.2012 में दी गयी शर्तों के अधीन बाबा एजूकेशन सोसाइटी एण्ड इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स लखनऊ में प्रशिक्षणरत (60) जी0एन0एन0 छात्र/छात्राओं को मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अधीन सामु0स्वा0 केन्द्र चिनहट लखनऊ से (वर्ष 2016) हेतु व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने की अनुमति निम्न शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है।

- 1- सामान्य उपचारिका प्रशिक्षुओं की डिप्टी जिला चिकित्सालय पर नियमित रूप से कार्यरत उपचारिकाओं के साथ लगायी जायेगी जिससे नरीजों को चिकित्सीय सुविधा सुचारु रूप से प्राप्त होगी तथा निजी संस्था की उपचारिका प्रशिक्षुओं के राजकीय चिकित्सालयों में कोई दुर्घटना/रोगियों की हति होने की संभावना अधीन जिला चिकित्सालय संबंधित संस्था को पत्र प्रेषित कर कार्यवाही की संस्तुति करने तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी उक्त प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण पूर्ण होने पर व्यावहारिक प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र निर्गत करेंगे। उक्त व्यावहारिक प्रशिक्षण न्यूनतम 06 माह की अवधि का होगा।
- 2- सामान्य उपचारिका प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण संस्था द्वारा प्रत्येक उपचारिका प्रशिक्षु की दर से छ माह हेतु रूपया-1000/- यूजर चार्ज के रूप में जमा किया जायेगा।
- 3- निजी क्षेत्र के सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण संस्थानों को अधिकतम 05 बेंच को ही व्यावहारिक प्रशिक्षण दिये जाने की अनुमति प्रदान की जायेगी। उक्त अनुमति मुख्य विकास अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी की संयुक्त आख्या पर महानिदेशक की संस्तुति के आधार पर शासन द्वारा 06 वर्षों हेतु निर्गत की जायेगी।
- 4- सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण संस्था की शासन द्वारा निर्गत अनुमति का नवीनीकरण गुणवत्ता के आधार पर वर्ष-प्रति वर्ष प्रस्तर-3 में वर्णित अवधि तक के लिये महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, उ0प्र0 द्वारा किया जायेगा।
- 5- उक्त सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण संस्थानों को दी गयी अनुमति को बिना कोई कारण बताये किसी भी समय शासन द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

महोदय,

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)

पत्र संख्या-प्रशि0प्रको0/02/2014/

तददिनांक।

प्रतिलिपि: प्रधानाचार्य, बाबा एजूकेशन सोसाइटी एण्ड इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स, 56-गटियारी, चिनहट, लखनऊ

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा नं
मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
लखनऊ।

संख्या-प्रशिक्षण/02/2014/24 लखनऊ-दिनांक 12/12/2017
विषय-बाबा एजुकेशन सोसाइटी एण्ड इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स 56-मटियारी, चिनहट,
लखनऊ को पीएनएनएच धारा/अधिनियमों को व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किए जाने में
सम्बन्ध में।

सादर,
सूचना उपरोक्त विषयक निदेशक, बाबा एजुकेशन सोसाइटी एण्ड इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स
लखनऊ के प्रार्थना पत्र दिनांक 15.12.2017 एवं सातनादेश संख्या-3731/पीव-8-2014-एन(136)
/2008, टीएनटी दिनांक 02.12.2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कथ करे।

इस संख्या में उल्लेख है कि कानून के पत्र संख्या-3731/पीव-8-2014-एन(136)/2008, टीएनटी
दिनांक 03.12.2014 एवं सातनादेश संख्या-2519/पीव-8-2014-एन(136)/2008, दिनांक 25.10.2012 में
टी गरी कर्ता के अधीन बाबा एजुकेशन सोसाइटी एण्ड इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स लखनऊ में प्रशिक्षण
(02) निदेशक धारा/अधिनियमों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अधीन सामुदायिक केंद्र चिनहट लखनऊ
में (सं 2016) हेतु व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने की अनुमति निम्न कर्ता व प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की
गयी है।

- 1- साक्ष्य उपरोक्त प्रशिक्षणों की डिग्री कित्त चिकित्सालय पर नियमित रूप से सर्वोच्च उपकारियों के
साथ लगायी जायेगी जिससे गरीबों के चिकित्सीय सुविधा सुधार रूप से प्राप्त होये तथा निम्नी संख्या की
उपकारीय प्रशिक्षणों के राजकीय चिकित्सालयों में कोई दुर्घटना/रेगिस्ट्री की गयी होने की संभावना
अधिकतम कित्त चिकित्सालय संबंधित संस्था को पर प्रेषित कर कार्यवाही की संतुष्टि करने तथा मुख्य
चिकित्सक अधिकृत उक्त प्रशिक्षणों को प्रशिक्षण पूर्ण होने की व्यावहारिक प्रशिक्षण का प्रथम पत्र निर्गत करे।
उक्त व्यावहारिक प्रशिक्षण सुभान 06 माह की अवधि का होगा।
- 2- साक्ष्य उपकारीय प्रशिक्षणों को प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण संस्था द्वारा प्रत्येक उपकारीय प्रशिक्षण की दर से उक्त
मा हेतु संख्या-1000/- मुद्रा सर्वोच्च के रूप में उक्त किया जायेगा।
- 3- निम्नी कर्ता के साक्ष्य उपकारीय प्रशिक्षण सन्धानों को अधिकांश उक्त कर्ता के ही व्यावहारिक प्रशिक्षण दिने
जाने की अनुमति प्रदान की जायेगी। उक्त अनुमति मुख्य चिकित्सक अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सक अधिकारी की
संतुष्टि कर्ता पर चिकित्सक की संतुष्टि के अधिनियम न कर्ता द्वारा उक्त कर्ता हेतु निम्नी के कर्ता है।
- 4- साक्ष्य उपकारीय प्रशिक्षण संस्था की कर्ता द्वारा निर्गत प्रशिक्षण का चिकित्सक सुभान के अधिनियम न
कर्ता कर्ता के प्रथम-7 में प्रेषित कर्ता उक्त के निम्नी चिकित्सक चिकित्सक उक्त कर्ता कर्ता उक्त कर्ता
किया जायेगा।
- 5- उक्त साक्ष्य उपकारीय प्रशिक्षण संस्थाओं के टी गरी अनुमति के कित्त कर्ता कर्ता कर्ता कर्ता की साक्ष्य
साक्ष्य द्वारा निर्गत किया जा सकता है।

पत्र संख्या-प्रशिक्षण/02/2014/

महानिदेशक, बाबा एजुकेशन सोसाइटी एण्ड इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स 56-मटियारी, चिनहट,
लखनऊ

मुख्य निदेशक (प्रशिक्षण)

दिनांक।

मुख्य निदेशक (प्रशिक्षण)

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद-लखनऊ।

पत्रांक : मु0चि0अ0/निजीचि0प्र0/प्रशि0/2017/16216-4

दिनांक : 22/12/17

1. प्रतिलिपि चिकित्साधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, चिनहट, लखनऊ को सूचनाार्थ एवं आवश्यक
कार्यवाही हेतु इस निर्देश के साथ प्रेषित कि महानिदेशालय के उपरोक्त पत्र में वर्णित कर्ता/
प्रतिबन्धों के अधीन व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कराये तथा इस तथ्य का विशेष ध्यान
रखा जाये कि प्रशिक्षण अवधि में चिकित्सालय का राजकीय कार्य किसी भी दशा में बाधित न होने
पार्ये।
2. प्रतिलिपि प्रधानाचार्य, बाबा एजुकेशनल सोसाइटी एण्ड इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स,
56-मटियारी, चिनहट, लखनऊ को सूचनाार्थ।
3. प्रतिलिपि क्षेत्रीय अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ को सूचनाार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु
प्रेषित।
4. प्रतिलिपि महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सूचनाार्थ प्रेषित।

Baba Educational Society
Institute Of Paramedical
College of Nursing
Chinhhat, Lucknow-226028

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
लखनऊ

सेवा में

निदेशक एवं प्रमुख अधीक्षक,
डा० राम मनोहर लालिया सयुक्त
चिकित्सालय गौमती नगर लखनऊ।

सेवा में

निदेशक,
स्कूल ऑफ नर्सिंग
बाबा एजुकेशन सोसाइटी
इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकलस लखनऊ।

संख्या

विशय:-

निदे०प्र०अधी०/रा०न०लो०चि०/प्रशि०/2017/ 2349 दिनांक 25 दिसम्बर 2017
डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी की प्रशिक्षार्थियों को व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक आप अपने कार्यालय के पत्र संख्या- 290/17 दिनांक 22-11-2017 का सदर्थ ग्रहण करने का कष्ट करें। सदरित पत्र के मध्यम से आपने अपने संस्थान के डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी के 60 छात्र/छात्राओं को व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु डा० राम मनोहर लालिया सयुक्त चिकित्सालय में अनुमति दिये जाने का अनुरोध किया है। आपके उक्त पत्र के क्रम में आपके संस्थान के डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी के 60 छात्र/छात्राओं को निम्न शर्तों के अन्तर्गत दिनांक 01-01-2018 से छ माह हेतु व्यवहारिक प्रशिक्षण की अनुमति शासन/महानिदेशालय के पत्रक-प्रशि० प्रका०/02/2014/7467 दिनांक 21-11-2017 में द्वारा निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

- 1- प्रशिक्षण हेतु ₹० 1000-00 प्रति छात्र हस्तगत करना सुनिश्चित करें। हस्तगत करना के उपरान्त ही प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
- 2- प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से प्रत्येक छात्र का नियमित रूप से उपस्थित होकर चिकित्सालय में प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- 3- प्रशिक्षण अवधि में यदि कोई प्रशिक्षणार्थी अनुपस्थित होता है या छोड़ता है तो उसके प्रशिक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित प्रशिक्षणार्थी अपने संस्थान का होगा।
- 4- प्रशिक्षण अवधि में चिकित्सालय के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण अवधि में इन चिकित्सालय से कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी।

भवदीय

(सजीव कुमार)

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक।
उक्तदिनांक

पु०स०
प्रतिलिपि

निदे०प्र०अधी०/रा०न०लो०चि०/प्रशि०/2017/

निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- नर्सिंग अधीक्षिका डा० राम मनोहर लालिया सयुक्त चिकित्सालय गौमती नगर लखनऊ को सूचनाार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप अपने निर्देशन में उक्त संस्थान के छात्र/छात्राओं को प्रशिक्षण प्रदान करना सुनिश्चित करें।
- 2- चिकित्सा अधीक्षक डा० राम मनोहर लालिया सयुक्त चिकित्सालय लखनऊ।
- 3- सयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा अनुभाग-8 उ०प्र० शासन।
- 4- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, प्रशिक्षण अनुभाग उ०प्र० स्वास्थ्य मंत्रालय लखनऊ।

(सजीव कुमार)

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक।

**Baba Educational Society
Institute Of Paramedical
College of Nursing
Chinhhat, Lucknow-226028**

माननिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में
मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
लखनऊ।

लखनऊ दिनांक 30/11/2019

संख्या: प्रशि0पको0/02/2014 /
विषय: जी0एन0एम0 छात्र/छात्राओं को व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

संख्या: प्रशि0पको0/02/2014 / 4313
विषय: जी0एन0एम0 छात्र/छात्राओं को व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।
संख्या: प्रशि0पको0/02/2014 / 4313

संख्या: प्रशि0पको0/02/2014 / 4313
विषय: जी0एन0एम0 छात्र/छात्राओं को व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।
संख्या: प्रशि0पको0/02/2014 / 4313

संख्या: प्रशि0पको0/02/2014 / 4313
विषय: जी0एन0एम0 छात्र/छात्राओं को व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।
संख्या: प्रशि0पको0/02/2014 / 4313

1. संख्या: प्रशि0पको0/02/2014 / 4313
विषय: जी0एन0एम0 छात्र/छात्राओं को व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।
संख्या: प्रशि0पको0/02/2014 / 4313
2. संख्या: प्रशि0पको0/02/2014 / 4313
विषय: जी0एन0एम0 छात्र/छात्राओं को व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।
संख्या: प्रशि0पको0/02/2014 / 4313
3. संख्या: प्रशि0पको0/02/2014 / 4313
विषय: जी0एन0एम0 छात्र/छात्राओं को व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।
संख्या: प्रशि0पको0/02/2014 / 4313
4. संख्या: प्रशि0पको0/02/2014 / 4313
विषय: जी0एन0एम0 छात्र/छात्राओं को व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।
संख्या: प्रशि0पको0/02/2014 / 4313
5. संख्या: प्रशि0पको0/02/2014 / 4313
विषय: जी0एन0एम0 छात्र/छात्राओं को व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।
संख्या: प्रशि0पको0/02/2014 / 4313

भारतीय

निदेशक (प्रशिक्षण)
तददिनांक

संख्या: प्रशि0पको0/02/2014 / 4313
प्रतिलिपि

आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

30/11/19
मुख्य निदेशक (प्रशिक्षण)

Baba Educational Society
Institute Of Paramedical
College of Nursing
Chinhat, Lucknow-226028

आपक:

निदेशक एवं प्रमुख अधीक्षक,
डा० राम मनोहर लोहिया संयुक्त
चिकित्सालय, गोमती नगर, लखनऊ।

सेवा में

निदेशक,
स्कूल आफ नर्सिंग
बाबा एजुकेशन सोसाइटी,
इन्स्टीट्यूट आफ पैरामेडिकलस, लखनऊ।

संख्या:

निदे०प्र०अधी०/रा०म०लो०चि०/प्रशि०/2017 / 22 दिनांक 21 अप्रैल, 2017

विषय:-

डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी की प्रशिक्षार्थियों को व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आप अपने कार्यालय के पत्र संख्या- 056/17 दिनांक 25-03-2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। संदर्भित पत्र के माध्यम से आपने अपने संस्थान के डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी के 60 छात्र छात्राओं को व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु डा० राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय में अनुमति दिये जाने का अनुरोध किया है। आपके उक्त पत्र के कम में आपके संस्थान के डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी के 60 छात्र छात्राओं को निम्न शर्तों के अधीन दिनांक 01-05-2017 से छः माह हेतु व्यवहारिक प्रशिक्षण की अनुमति शासन/ महानिदेशालय के द्वारा निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है।

- 1- प्रशिक्षण हेतु ₹ 1000=00 प्रति छात्र शुल्क जमा करना सुनिश्चित करें। शुल्क जमा करने के उपरान्त ही प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
- 2- प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से प्रत्येक छात्र को नियमित रूप से उपस्थित होकर चिकित्सालय में प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- 3- प्रशिक्षण अवधि में यदि कोई प्रशिक्षणार्थी अनुपस्थित होता है या छोड़ता है तो उसका प्रशिक्षण समाप्त कर दिया जायेगा, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित प्रशिक्षणार्थी/आपके संस्थान का होगा।
- 4- प्रशिक्षण अवधि में चिकित्सालय के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण अवधि में इस चिकित्सालय से कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी।

भवदीय,


मुख्य चिकित्सा अधीक्षक।
संज्ञा दिनांक

पृ०सं०:

निदे०प्र०अधी०/रा०म०लो०चि०/प्रशि०/2017/

प्रतिलिपि:

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवेक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- नर्सिंग अधीक्षक, डा० राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय, गोमती नगर, लखनऊ को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप अपने निर्देशन में उक्त संस्थान के छात्र/छात्राओं को प्रशिक्षण प्रदान कराना सुनिश्चित करें।
- 2- चिकित्सा अधीक्षक, डा० राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय, लखनऊ।
- 3- संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा अनुभाग-8 उ०प्र० शासन।
- 4- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, प्रशिक्षण अनुभाग, उ०प्र०, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक।

Baba Educational Society
Institute Of Paramedical
College of Nursing
Chinhat, Lucknow-226028

संख्या

2518 / पीच-6-2012-एन0(138) / 2008

विभाग: शसु
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में

महानिदेशक
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
2000 लखनऊ

चिकित्सा अनुभाग-6

संख्या

दिनांक 25 अक्टूबर 2012

विषय- प्रदेश के निजी क्षेत्र द्वारा संचालित नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थानों को सामान्य
उपचारिका प्रशिक्षुओं को व्यावहारिक प्रशिक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में।

सहायक

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-प्रशि0प्रका0/4162 दिनांक 28.08.2012 का
कृपया सम्बन्ध ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रदेश में निजी क्षेत्र द्वारा
संचालित नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थानों को उपचारिका प्रशिक्षुओं को व्यावहारिक प्रशिक्षण की
अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है-

- 1) सामान्य उपचारिका प्रशिक्षुओं की दियूटी जिला चिकित्सालय पर नियमित
रूप से कार्यरत उपचारिकाओं के साथ लगायी जायेगी जिससे मरीजों को
चिकित्सीय सुविधा सुचारु रूप से प्राप्त होगी तथा निजी संस्था की
उपचारिका प्रशिक्षुओं के राजकीय चिकित्सालयों में कोई दुर्घटना/संघर्ष
की क्षति होने की संभावना कम होगी तथा यदि कोई दुर्घटना होती है तो
उक्त प्रशिक्षुओं के विरुद्ध कार्यवाही हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला
चिकित्सालय सम्बन्धित संस्था को पत्र प्रेषित कर कार्यवाही की संस्तुति
करने तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी उक्त प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण पूर्ण होने
पर व्यावहारिक प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र निर्गत करेंगे। उक्त व्यावहारिक
प्रशिक्षण न्यूनतम 06 माह की अवधि का होगा।
- 2) सामान्य उपचारिका प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण हेतु प्रति प्रशिक्षणार्थी पूर्ण में ₹20
500/- यूजर चार्ज के रूप में प्राप्त किया जाता था। यह शुल्क काफी
समय पूर्व निर्धारित किया गया था। वर्तमान में मूल्य वृद्धि के दृष्टिगत यूजर
चार्ज के रूप में प्रति प्रशिक्षणार्थी ₹20-1000/- प्राप्त किया जायेगा।
- 3) निजी क्षेत्र के सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण संस्थानों को अधिकतम 05 बैच
को ही व्यावहारिक प्रशिक्षण दिये जाने की अनुमति प्रदान की जायेगी। उक्त
अनुमति मुख्य विकास अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी की
संयुक्त आख्या पर महानिदेशक की संस्तुति के आधार पर शासन द्वारा 05
वर्षों हेतु निर्गत की जाएगी।

सं. सामान्य उपयोगिता प्रशिक्षण संस्थानों की शासन द्वारा निर्मित प्रमाणपत्रों के आधार पर वर्ष-वर्षीय प्रस्ताव-3 में उचित विवरण के साथ महानिदेशक, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएं से प्राप्त किया जाएगा।

2- उक्त से उद्धिक्त हुए भी प्रस्तावित है कि उक्त सामान्य उपयोगिता प्रशिक्षण संस्थानों को दी गयी अनुमति को बिना किसी कारण बताये किसी भी समय शासन द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

कृपया सन्दर्भित सामान्य उपयोगिता प्रशिक्षणों की व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

महवीर
(जे.पी. शर्मा)
प्रमुख सचिव

Baha Educational Society
Institute Of Paramedical
College of Nursing
Chinhhat, Lucknow-226028

संख्या-प्रशि०प्रको०/02/2014/03

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
बाबा एजुकेशन सोसाइटी एण्ड इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स
लखनऊ

संलग्नक दिनांक 02/01/2014

विषय: बाबा एजुकेशन सोसाइटी एण्ड इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स, 56-मटियारी, लखनऊ की
सोसाइटी एक्ट 1985/धारा 13(1) के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक निर्देशों तथा एजुकेशन सोसाइटी एण्ड इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स लखनऊ
के प्रावियों पर दिनांक 01.01.2014 को शासनादेश संख्या 1013/पीच-8-2015-गना(138)/2008 टी०सी०
दिनांक 23.04.2015 को सर्वोच्च न्यायालय की कृपया ध्यान दें।

उक्त संशोधन में शासन की पत्र संख्या 1013/पीच-8-2015-गना(138)/2008 टी०सी०
दिनांक 23.04.2015 एवं शासनादेश संख्या 2519/पीच-8-2012-गना(138)/2008 दिनांक 23.10.2012 में दी
गयी गयी है। उक्त निर्देशों तथा एजुकेशन सोसाइटी एण्ड इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स लखनऊ में
प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये शासन द्वारा निर्धारित किये गये हैं। उक्त निर्देशों तथा एजुकेशन सोसाइटी एण्ड इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स लखनऊ में
प्रशिक्षण प्रदान करने की अनुमति निम्न शर्तों व प्रतिबन्धों के
अन्तर्गत दी जाती है।

- 1- सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण को अग्रणी जिला चिकित्सालय पर नियमित रूप से कार्यरत उपचारिकाओं के
कार्य के लिये आवश्यक शिक्षण मर्यादा को चिकित्सकीय सुविधा सुप्लस रूप से प्राप्त होगी तथा निजी संस्था की
उपचारिका प्रशिक्षणों के राजकीय चिकित्सालयों में कोई दृष्टिकोण, गतिविधियों की दृष्टि हानि की सम्भावना अधीक्षक
जिला चिकित्सालय संबंधित संस्था को पत्र प्रेषित कर कार्यवाही की सन्तुष्टि करेंगे तथा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
उक्त प्रशिक्षणों को प्रशिक्षण पूर्ण होने पर व्यवहारिक प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र निर्गत करेंगे। उक्त व्यवहारिक
प्रशिक्षण न्यूनतम 06 माह की अवधि का होगा।
- 2- सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण संस्था द्वारा प्रत्येक उपचारिका प्रशिक्षु की दर से छ.
माह तत्पश्चात्-1,000/- यूजर चार्ज के रूप में जमा किया जायेगा।
- 3- निजी क्षेत्र के सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण संस्थानों को अधिकतम 05 बेंच को ही व्यवहारिक प्रशिक्षण दिये
जाने की अनुमति प्रदान की जायेगी। उक्त अनुमति मुख्य विकास अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी की
संयुक्त आख्या पर महानिदेशक की सन्तुष्टि के आधार पर शासन द्वारा 05 वर्षों हेतु निर्गत की जायेगी।
- 4- सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण संस्था की शासन द्वारा निर्गत अनुमति का नवीनीकरण गुणवत्ता के आधार पर
वर्ष-प्रति वर्ष प्रस्तर-3 में वर्णित अवधि तक के लिये महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, उ०प्र० द्वारा
किया जायेगा।
- 5- उक्त सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण संस्थानों को दी गयी अनुमति को बिना कोई कारण बताये किसी भी
समय शासन द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

निदेशक (प्रशिक्षण)

संख्या-प्रशि०प्रको०/02/2014/03 तददिनांक,
प्रतिलिपि: प्रधानाचार्य बाबा एजुकेशन सोसाइटी एण्ड इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स, 56-मटियारी,
लखनऊ।

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)

**Baba Educational Society
Institute Of Paramedical
College of Nursing
Cauhat, Lucknow-226028**

सहायक निदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
श्री राम मनोहर लोहिया स्मृत्त चिकित्सालय,
गोमतीनगर, लखनऊ।

लखनऊ दिनांक 30/8/2014

संख्या प्रशि0प्रको0/02/2014/43/14

विषय जी0ए-10एम0 छात्र/छात्राओं को व्यावहारिक प्रशिक्षण हेतु अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

संख्या-447/14 दिनांक 29/08/2014 का शासन के वरु संख्या-1023/प्रश-8-2014-एम1338/2008 टीसी0 दिनांक 23/04/2015 का निर्देश प्रमाण करने का कार्य करें।

इस सम्बन्ध में ज्ञान है कि शासन के वरु संख्या-1023/प्रश-8-2014-एम1338/2008 टीसी0 दिनांक 23/04/2015 का निर्देश संख्या-25/14 दिनांक 23/04/2014 का संख्या-138/2009 दिनांक 23/04/2013 में दी गई शर्तों के अन्तर्गत बाबा एजुकेशन सोसाइटी एण्ड इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स लखनऊ में चिकित्सा एवं नर्सिंग प्रशिक्षण के लिए अनुमति प्रदान करने का निर्देश किया गया है।

संश्लेषण प्रमाणित प्रशिक्षण के लिए अनुमति प्रदान करने का निर्देश किया गया है।

संश्लेषण प्रमाणित प्रशिक्षण के लिए अनुमति प्रदान करने का निर्देश किया गया है।

संश्लेषण प्रमाणित प्रशिक्षण के लिए अनुमति प्रदान करने का निर्देश किया गया है।

भवदीय

निदेशक (प्रशिक्षण)
तददिनांक

संख्या : प्रशि0प्रको0/02/2014 /

प्रतिलिपि : निदेशक, बाबा एजुकेशन सोसाइटी एण्ड इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स लखनऊ को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)

Baba Educational Society
Institute Of Paramedical
College of Nursing
Chinhut, Lucknow-226028

गीत
 विद्या
 का
 महाविद्यालय
 विभाग
 2014

दिनांक 3 नवम्बर 2014

विषय:

मवीय

क्रमांक	संस्थान का नाम	संबंधित विधिकाल, जहां से व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया जाना है
1	कृपालु इरौलीपुर अफ बाय मेडिकल साइंस कालेज	जिला विधिकाल (महिला) सार्वभौमिक
2	बाबा एडमंडसन सीसाइटी एमड इरौलीपुर ऑफ पैरामेडिकल 56 महिला विनहद लखनऊ	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विनहद लखनऊ
3	मी मनुली देवी महाविद्यालय नर्सिंग ट्रेनिंग सेन्टर कन्दाडीह बलिया	जिला विधिकाल बलिया/ मुख्य विधिकालिकारी बलिया के अधीन
4	मी रामवती मेमोरियल नर्सिंग कालेज फतेहपुर	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मिर्जापुर/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हुसेनगंज फतेहपुर
5	काशीनाथ नर्सिंग एव पैरामेडिकल कालेज, रामगंजनपुर बाकी खुद, गाजीपुर	जिला विधिकाल, गाजीपुर/मुख्य विधिकालिकारी, गाजीपुर के अधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र

मवीय,
 पीएन सिंह
 विशेष अधिकारी

200

दिनांक 1/11/15

दिनांक 1/11/15, 2008टीसी

पीएन0 सिंह
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश सरकार।

सेवा में

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा अनुमति-8

लखनऊ, दिनांक 2¹ अक्टूबर 2015

विषय - जी0एन0एम0 के छात्र/छात्राओं को व्यावहारिक प्रशिक्षण हेतु अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक आपका पत्र संख्या प्रति0/प्रका0/02/2014/1078, दिनांक 13-3-2015 एवं प्रशि0/प्रका0/142/2014/1071, दिनांक 13-3-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित संस्थानों के जी0एन0एम0 के छात्र/छात्राओं को उनके सम्मुख अंकित चिकित्सालयों से भी व्यावहारिक प्रशिक्षण हेतु अनुमति शासनादेश संख्या-2519/पौच-8-2012-एन(138)/2008 दिनांक 25-10-2012 में उल्लिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है -

क्रमांक	संस्थान का नाम	संबंधित चिकित्सालय, जहां से व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया जाना है
1.	बाबा एजुकेशन सोसाइटी एवं इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स, 56-मटियारी, चिनहट, लखनऊ	डा0 राम मनोहर लोहिया संगुल चिकित्सालय, गोमती नगर, लखनऊ।
2.	आई0आई0एम0टी0 कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, गंगानगर, मेरठ	जिला महिला चिकित्सालय, मेरठ।

भवदीय,

(पी0एन0 सिंह)
विशेष सचिव।

Rgo-4

Baba Educational Society
Institute Of Paramedical
College of Nursing
Chinhat, Lucknow-226028

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
उत्तर प्रदेश।

संज्ञा में

मुख्य चिकित्सा अधिकक
डी० राम मनोहर लाहिया समुक्त चिकित्सालय
गोमती नगर, लखनऊ।

लखनऊ दिनांक 02/04/2019

संख्या- प्रशि०प्रको०/02/2014/

विषय- बाबा एजुकेशन सोसाइटी एण्ड इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स, 56-मटियारी, चिनहट, लखनऊ की
जी०एन०एम० छात्र/छात्राओं को व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक निदेशक बाबा एजुकेशन सोसाइटी एण्ड इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स लखनऊ के प्रार्थना पत्र दिनांक 01.01.2019 एवं शासनादेश संख्या-1013/पॉच-8-2015-एन(138)/2008, टी०सी० दिनांक 23.04.2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस सम्बन्ध में कहना है कि शासन के पत्र संख्या-1013/पॉच-8-2015-एन(138)/2008, टी०सी० दिनांक 23.04.2015 एवं शासनादेश संख्या-2519/पॉच-6-2012-एन(138)/2008, दिनांक 25.10.2012 में दी गयी शर्तों के अधीन निदेशक, बाबा एजुकेशन सोसाइटी एण्ड इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स लखनऊ में प्रशिक्षणार्थ (60) जी०एन०एम० छात्र/छात्राओं को डी० राम मनोहर लाहिया समुक्त चिकित्सालय, गोमती नगर, लखनऊ के अधीन (वर्ष 2015-19) हेतु व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने की अनुमति विभिन्न शर्तों व प्रतिबन्धों के अर्थात् प्रदान की जाती है।

1- सामान्य उपचारिका प्रशिक्षुओं की उद्दी जिला चिकित्सालय पर नियमित रूप से कार्यरत उपचारिकाओं के साथ लगायी जायेगी, जिससे मरीजों को चिकित्सीय सुविधा सुचारु रूप से प्राप्त होगी तथा निजी संस्था की उपचारिका प्रशिक्षुओं के राजकीय चिकित्सालयों में कोई दुर्घटना/संगियों की क्षति होने की सम्भावना अतिरिक्त जिला चिकित्सालय संबंधित संस्था को पत्र प्रेषित कर कार्यवाही की संस्तुति करेंगे तथा मुख्य चिकित्सा अधिकक उक्त प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण पूर्ण होने पर व्यावहारिक प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र निर्गत करेंगे। उक्त व्यावहारिक प्रशिक्षण न्यूनतम 06 माह की अवधि का होगा।

2- सामान्य उपचारिका प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण संस्था द्वारा प्रत्येक उपचारिका प्रशिक्षु की दर से छ माह हेतु रुपया-1,000/- यूजर चार्ज के रूप में जमा किया जायेगा।

3- निजी क्षेत्र के सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण संस्थानों को अधिकतम 05 बेन्च को ही व्यावहारिक प्रशिक्षण दिये जाने की अनुमति प्रदान की जायेगी। उक्त अनुमति मुख्य विकास अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी की संयुक्त आख्या पर महानिदेशक की संस्तुति के आधार पर शासन द्वारा 05 वर्षों हेतु निर्गत की जायेगी।

4- सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण संस्था की शासन द्वारा निर्गत अनुमति का नवीनीकरण गुणवत्ता के आधार पर वर्ष-प्रति वर्ष प्रस्तर-3 में वर्णित अवधि तक के लिये महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, उ०प्र० द्वारा किया जायेगा।

5- उक्त सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण संस्थानों को दी गयी अनुमति को बिना कोई कारण बताये किसी भी समय शासन द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय

निदेशक (प्रशिक्षण)

संख्या-प्रशि०प्रको०/02/2014/03

चिनहट, लखनऊ।

प्रतिलिपि: प्रधानाचार्य बाबा एजुकेशन सोसाइटी एण्ड इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स, 56-मटियारी, चिनहट, लखनऊ।

तददिनांक,

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद-लखनऊ।

पत्रांक : मु0चि0अ0/Baba Inst./17-18/2017/ 16215-3


दिनांक 22/12/17

चिकित्साधीनक
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
चिनहट, लखनऊ।

विषय : बाबा एजुकेशनल सोसाइटी एण्ड इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स, लखनऊ में अध्ययनरत ए0एन0एम0 छात्र/छात्राओं को व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रधानाचार्य, बाबा एजुकेशनल सोसाइटी एण्ड इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स, 56-गटियारी, चिनहट, लखनऊ द्वारा अपने संस्थान में अध्ययनरत ए0एन0एम0 छात्र/छात्राओं को व्यवहारिक प्रशिक्षण दिये जाने हेतु महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ को सम्बोधित पत्र दिनांक 07.12.17 के माध्यम से अनुरोध किया गया था जिसे संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) द्वारा अचोहरस्तार्वरी कार्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है।

उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि दिष्यगत् सन्दर्भ में आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें तथा इस तथ्य का विशेष ध्यान रखा जाये कि प्रशिक्षण अवधि में चिकित्सालय का सजकीय कार्य किसी भी दशा में बाधित न होने पायें।



मुख्य चिकित्सा अधिकारी
लखनऊ

पत्रांक : मु0चि0अ0/Baba Inst./17-18/2017/ 16215-3

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ
3. प्रधानाचार्य, बाबा एजुकेशनल सोसाइटी एण्ड इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स, 56-गटियारी, चिनहट, लखनऊ।


मुख्य चिकित्सा अधिकारी
लखनऊ

संख्या 273/मंत्र 8 2014 ए-1(138)/2004/एन

सेवा में
 चिट्ठा, बिहार
 स्वास्थ्य सचिव,
 उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में
 महानिदेशक,
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सचिव,
 उ०प्र०, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग 8

लखनऊ दिनांक 3 दिसम्बर 2014

विषय - जी०ए०एम्० के छात्र/ छात्राओं को व्यावहारिक प्रशिक्षण हेतु अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ -

उपरोक्त विषयक संख्या 100015/2014, संदि० 10-10-2014, मुद्रांक/14 15/2014 10084 दिनांक 22-10-2014 और प्रका० 117/2014 10225 दिनांक 12 11 2014 प्रति प्रका०/137/2014 100019 दिनांक 21 10 2014 तथा प्रति/प्रका० 112/2014 10178 दिनांक 07 11 2014 के संदर्भ में यह यह करने का निर्देश हुआ है कि चिकित्सा सचिव की जी०ए०एम्० के छात्र/ छात्राओं को उनके सम्बन्धित चिकित्सा संस्थान में व्यावहारिक प्रशिक्षण हेतु अनुमति प्रदान की जाये। संख्या 2519/ मंत्र 8 2012 ए-1(33), 2012 दिनांक 08 10 2012 में सूचित किया गया है। उचित प्रदान की जाये।

क्रमांक	संस्थान का नाम	संबन्धित चिकित्सालय, जहाँ से व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया जाना है
1	कृष्णाट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन लखनऊ	चिकित्सा सचिव (चिकित्सा) लखनऊ
2	डॉ० ए०के०एल गोसावई एम०डी प्रशिक्षण ऑफ पैरामेडिकल नर्स कॉलेज लखनऊ	संख्या 100 स्वास्थ्य सचिव (चिकित्सा) लखनऊ
3	मौ समुदायी देवी महाविद्यालय नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर कदाहीह बलिया	चिकित्सा चिकित्सालय बलिया, मुख्य चिकित्साधिकारी बलिया के अधीन
4	मौ रामली गंगोरीयल नर्सिंग कालेज फतेहपुर	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मिडीया/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हुसेनगंज फतेहपुर
5	काशीनाथ नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कालेज रामगंज फतेहपुर बाकी खुर्द गाजीपुर	चिकित्सा चिकित्सालय, गाजीपुर/मुख्य चिकित्साधिकारी गाजीपुर के अधीन है

सचिव

पी०एन० सिंह
 निदेश सचिव

Baba Educational Society
 Institute Of Paramedical
 College of Nursing
 Chhatat, Lucknow-226028

प्रति,
मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जनपद-लखनऊ।

शुभ प्रार्थना के साथ,
सन् 2019

दिनांक: 02/01/2019
विषय: आपका प्रेषित अधिसूचना संख्या 944-2/2019 दिनांक 18/1/19 को संबंधित प्रमाण पत्रों के संबंध में।

आपका प्रेषित अधिसूचना संख्या 944-2/2019 दिनांक 18/1/19 को संबंधित प्रमाण पत्रों के संबंध में आपका प्रेषित अधिसूचना संख्या 944-2/2019 दिनांक 18/1/19 को संबंधित प्रमाण पत्रों के संबंध में।

आपका प्रेषित अधिसूचना संख्या 944-2/2019 दिनांक 18/1/19 को संबंधित प्रमाण पत्रों के संबंध में आपका प्रेषित अधिसूचना संख्या 944-2/2019 दिनांक 18/1/19 को संबंधित प्रमाण पत्रों के संबंध में।

आपका प्रेषित अधिसूचना संख्या 944-2/2019 दिनांक 18/1/19 को संबंधित प्रमाण पत्रों के संबंध में आपका प्रेषित अधिसूचना संख्या 944-2/2019 दिनांक 18/1/19 को संबंधित प्रमाण पत्रों के संबंध में।

आपका प्रेषित अधिसूचना संख्या 944-2/2019 दिनांक 18/1/19 को संबंधित प्रमाण पत्रों के संबंध में आपका प्रेषित अधिसूचना संख्या 944-2/2019 दिनांक 18/1/19 को संबंधित प्रमाण पत्रों के संबंध में।

आपका प्रेषित अधिसूचना संख्या 944-2/2019 दिनांक 18/1/19 को संबंधित प्रमाण पत्रों के संबंध में आपका प्रेषित अधिसूचना संख्या 944-2/2019 दिनांक 18/1/19 को संबंधित प्रमाण पत्रों के संबंध में।

आपका

दिनांक 02/01/2019

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जनपद-लखनऊ।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जनपद-लखनऊ।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद-लखनऊ

पत्रांक: मुप्र/030/निजी/चिकि/090/व्य/प्रशि/2019/ 944-2 दिनांक 18/1/19

- 1. प्राथमिक चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, धिनाट, लखनऊ को उपरोक्त पत्र में उल्लिखित निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाने हेतु प्रेषित।
- 2. प्राथमिक चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जनपद-लखनऊ।

Baba Educational Society
Institute Of Paramedical
College of Nursing
Chinhhat, Lucknow-226028

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
चिकित्सा अनुभाग-8

पत्र संख्या-प्रशि0/प्रको0/02/2014/1078

लखनऊ : दिनांक-13/3/2015

विषय- बाबा एजुकेशन सोसाइटी एवं इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स, 56-मटियारी, चिनहट, लखनऊ की जी0एन0एम0 की छात्र/छात्राओं को व्यवहारिक प्रशिक्षण की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बाबा एजुकेशन सोसाइटी एवं इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स, 56 मटियारी, चिनहट, लखनऊ के पत्र संख्या-091/15, दिनांक-11.03.2015, का सदर ग्रहण करें। जिसके द्वारा बाबा एजुकेशन सोसाइटी एवं इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स की जी0एन0एम0/बी0स0सी0 नर्सिंग छात्र/छात्राओं को डा0 राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय लखनऊ में व्यवहारिक प्रशिक्षण की अनुमति प्रदान की जाय।

इस सम्बन्ध में अवगत करना है। कि शासनादेश संख्या -3731/बीच-8-2014-एन.(138) 2008, टी0सी0, दिनांक-03.12.2014, द्वारा बाबा एजुकेशन सोसाइटी एवं इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स, लखनऊ की जी0एन0एम0 छात्र/छात्राओं को सामु0स्वा0केन्द्र चिनहट लखनऊ, से शासनादेश संख्या-2519/बीच-8-2012-एन(138)/2008, दिनांक-25.10.2012, में दी गयी शर्तों के अधीन महानिदेशालय के आदेश संख्या-प्रशि0/प्रको0/02/014/10763, दिनांक-29.12.2014, द्वारा अनुमति प्रदान की गयी है। बाबा एजुकेशन सोसाइटी एवं इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स, लखनऊ में जी0एन0एम0 छात्र/छात्राओं को डा0 राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय गोग्गी नगर लखनऊ से भी व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किये जाने का अनुरोध किया है।

शासन से अनुरोध है, बाबा एजुकेशन सोसाइटी एवं इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स, लखनऊ की जी0एन0एम0 छात्र/छात्राओं को डा0 राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय गोग्गी नगर लखनऊ, से भी व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के सम्बन्ध में यथोचित आदेश देने की कृपा करें।
संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

अपर निदेशक (प्रशिक्षण)

Baba Educational Society
Institute Of Paramedical
College of Nursing
Chinhhat, Lucknow-226028

पत्रक

निदेशक एवं प्रमुख अधीक्षक,
डा० राम मनोहर लोहिया संयुक्त,
चिकित्सालय गोमती नगर, लखनऊ।

सेवा में

निदेशक,
स्कूल ऑफ नर्सिंग
बाबा एजुकेशन सोसाइटी,
इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकलर्स, लखनऊ।

दिनांक 21 अप्रैल, 2017

संख्या
विषय:-

निदेश0प्र0अधी0/रा0न0लो0चि0/प्रसि0/2017 /
डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी की प्रशिक्षार्थियों को व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु अनुमति के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आप अपने कार्यालय के पत्र संख्या- 056/17 दिनांक 25-03-2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। संदर्भित पत्र के माध्यम से आपने अपने संस्थान के डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी के 60 छात्र छात्राओं को व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु डा० राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय में अनुमति दिये जाने का अनुरोध किया है। आपके उक्त पत्र के क्रम में आपके संस्थान के डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी के 60 छात्र छात्राओं को निम्न शर्तों के अधीन दिनांक 01-05-2017 से छः माह हेतु व्यवहारिक प्रशिक्षण की अनुमति शासन/ महानिदेशालय के द्वारा निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है।

- 1- प्रशिक्षण हेतु रु० 1000-00 प्रति छात्र शुल्क जमा करना सुनिश्चित करें। शुल्क जमा करने के उपरान्त ही प्रशिक्षण प्रदान किया जावेगा।
- 2- प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से प्रत्येक छात्र को नियमित रूप से उपस्थित होकर चिकित्सालय में प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- 3- प्रशिक्षण अवधि में यदि कोई प्रशिक्षणार्थी अनुपस्थित होता है या छोड़ता है तो उसका प्रशिक्षण समाप्त कर दिया जायेगा, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित प्रशिक्षणार्थी/आपके संस्थान का होगा।
- 4- प्रशिक्षण अवधि में चिकित्सालय के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण अवधि में इस चिकित्सालय से कोई वित्तीय सहयोग प्रदान नहीं की जायेगी।

भवदीय,

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ।
उक्तदिनांक

सू0सं0
प्रतिलिपि

निदेश0प्र0अधी0/रा0न0लो0चि0/प्रसि0/2017/255-4

- 1- निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
नर्सिंग अधीक्षक, डा० राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय, गोमती नगर, लखनऊ को सूचनाार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप अपने निर्देशन में उक्त संस्थान के छात्र/छात्राओं को प्रशिक्षण प्रदान कराना सुनिश्चित करें।
- 2- चिकित्सा अधीक्षक, डा० राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय, लखनऊ।
- 3- संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा अनुभाग-8 उ0प्र0 शासन ।
- 4- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, प्रशिक्षण अनुभाग, उ0प्र0, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।


मुख्य चिकित्सा अधीक्षक।

संख्या- 10/02/2014
तत्परिभाषित

संख्या-

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
लखनऊ।

संख्या- प्रशि0प्रको0/02/2014

तत्परिभाषित दिनांक- 21/12/2014

विषय- बाबा एजुकेशन सोसाइटी एण्ड इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल, 56 मटियारी, चिनहाट, लखनऊ, की 10एन0एन0 छात्र/छात्राओं को व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय

कृपया उपरोक्त विषयक शासन दर संख्या-3731/संघ-8-2014 एन (138) 2008 टी0सी दिनांक- 3-12-2014 का संदर्भ ग्रहण कर प्रतिकृति प्रतिलिपि आप को प्रेषित है।

उक्त संघ में कहना है कि शासन के पत्र संख्या 3731/संघ-8-2014-एन (138)/2008 टी0सी0 दिनांक-3-12-2014 एवं शासनादेश संख्या-2519/संघ-8-2012-एन0 (138)/2008 दिनांक- 25.10.2012 में दी गयी है। उक्त संघ बाबा एजुकेशन सोसाइटी एण्ड इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल, 56 मटियारी, चिनहाट, लखनऊ, में व्यवहारिक छात्र/छात्राओं को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, चिनहाट, लखनऊ से व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने की अनुमति प्रदान करने के संबंध में प्रतिकृति प्रतिलिपि प्रदान की जाती है।

- 1- सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण की विद्युती जिला चिकित्सालय पर नियमित रूप से कार्यक्रम उपचारिकाओं के साथ लगायी जायगी जिससे मरीजों को चिकित्सीय सुविधा सुचारु रूप से प्राप्त होगी तथा निजी संस्था की उपचारिका प्रशिक्षण के राजकीय चिकित्सालयों में कोई दुर्घटना/रोगियों की हानि होने को रोकना अथवा जिला चिकित्सालय संबंधित संस्था जो यह प्रकृति कर कार्यवाही की सम्पुर्ण करेगी तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी उक्त प्रशिक्षण की प्रशिक्षण पूर्ण होने पर व्यवहारिक प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र निर्गत करेगा। उक्त व्यवहारिक प्रशिक्षण न्यूनतम 26 सप्ताह की अवधि का होगा।
- 2- सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण की प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण संस्था द्वारा प्रत्येक उपचारिका प्रशिक्षण की दर से 18 सप्ताह हेतु लगभग-1000/- रुपय कार्यरत के रूप में जमा किया जायगा।
- 3- जिला स्तर के सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण संस्थानों के अधिकतम 26 सप्ताह का ही व्यवहारिक प्रशिक्षण दिए जाने की अनुमति प्रदान की जायगी। उक्त अनुमति मुख्य विकास अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी की संयुक्त आख्या पर महानिदेशक को सन्तुष्टि के आधार पर शासन द्वारा 05 की हेतु निर्गत की जायगी।
- 4- सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण संस्था की शासन द्वारा निर्गत अनुमति का नवीनीकरण गुणवत्ता के आधार पर वर्ष-प्रति वर्ष प्रस्तर-3 में वर्णित अवधि तक के लिये महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, उ0प्र0 द्वारा किया जायेगा।
- 5- उक्त सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण संस्थानों को दी गयी अनुमति को बिना कोई कारण बताये किसी भी समय शासन द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय

✓

अपर निदेशक(प्रशिक्षण)

संख्या- प्रशि0प्रको0/02/2014/1076465

तत्परिभाषित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आक्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- उप सचिव उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग-3,
- 2- बाबा एजुकेशन सोसाइटी एण्ड इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल, 56 मटियारी, चिनहाट, लखनऊ,

**Baba Educational Society
Institute Of Paramedical
College of Nursing
Chinhhat, Lucknow-226028**

अपर निदेशक (प्रशिक्षण)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
लखनऊ

पत्र संख्या: 10/2020

दिनांक: 10/05/2020

विषय: निदेशक, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य शिक्षा विभाग, लखनऊ, के द्वारा जारी दिनांक 05/05/2020 के अंतर्गत दिनांक 28/04/2020 के क्रम में जारी निर्देशों के साथ प्रेषित की गई सूचना के अन्तर्गत एक निदेशिकाओं और परामर्शकाल 56 नटियारी चिन्हाट, लखनऊ की एडल्ट एडवेंस/इंटर/सर्टिफिकेट लॉ अकादमीयों को अवगत है।
हनु नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

2- प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- वरिष्ठ निदेशक, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य शिक्षा विभाग- E
- महानिदेशक, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- अपर निदेशक, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- निदेशक, बाबा एजुकेशनल सोसायटी एण्ड इंस्टीट्यूट ऑफ परामेडिकल, 56 नटियारी चिन्हाट, लखनऊ।
- अपर मुख्य चिकित्साधिकारी/मॉडल अधिकारी प्रशिक्षण, लखनऊ।


मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
लखनऊ।

सेवा में

शिक्षिका अधीक्षक,
हॉस्पिटल ब्लॉक,
डा० राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान,
गोमती नगर, लखनऊ।

सेवा में

निदेशक,
स्कूल ऑफ नर्सिंग बाबा एजुकेशन सोसाइटी
इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरा मेडिकल,
लखनऊ।

संख्या

रा०म०ले०अ०स०/प्रशि०/2019/ 3184

दिनांक ०८ दिसंबर 2019

विषय-

जी०एन०एन० (सत्र 2019-20 के छात्र/छात्राओं को क्लीनिकल व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आप अपने पत्र संख्या 448/19 दिनांक 03.09.2019 का संदर्भ ग्रहण करें। संदर्भित पत्र के माध्यम से आप द्वारा अपने संस्थान के 60 जी०एन०एन० छात्र/छात्राओं को इस संस्थान में व्यवहारिक क्लिनिकल प्रशिक्षण प्रदान कराये जाने हेतु अनुरोध किया है। उ०प्र० शासन शिक्षिका अनुमान-8 के क्र संख्या-1013/बीच-8-2014-एन०(138)/2008 टी०सी० दिनांक 23.04.2015 में विहित शर्तों एवं प्रविष्टियों के अंतर्गत न्यूनेटेडिकल शिक्षिका एवं स्वास्थ्य सेवारत उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या प्रशि०प्रको०/02/2014/4314 दिनांक 30.06.2019 एवं न्यूनेटेडिकल शिक्षिका एवं प्रशिक्षण उ०प्र० के पत्र संख्या एन०ई०-1/2019 3028 दिनांक 30 सितंबर 2019 के क्रम में आपके संस्थान के 60 छात्र/छात्राओं को दिनांक 10.12.2019 से 06 मई तक विद्यमान शर्तों के अंतर्गत व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है-

- 1- प्रशिक्षण हेतु एक 1000=00 मी० छात्र शुल्क तथा कक्षा न्यूनेटेडिकल एवं शुल्क का अर्धे से एकत्रित कर प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
- 2- प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से प्रशिक्षण समाप्त होने तक ईस के अंतर्गत छात्र/छात्राओं को नियमित रूप से न्यूनेटेडिकल सेवारत शिक्षिकाओं से प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- 3- एक प्रशिक्षण हेतु जी०एन०एन० छात्र/छात्राओं का कक्षा वितरित कराया जाये इस संस्थान द्वारा नई नए छात्र/छात्रा इस प्रशिक्षण हेतु भेजे जा रहे हैं। जी०एन०एन० छात्र/छात्राओं के नाम की सूची अतिरिक्त संलग्न नर्सिंग अधीक्षक को प्रस्तुत की जाये।
- 4- व्यवहारिक प्रशिक्षण दो ईस में प्रदान किया जाएगा, सत्र 08:00 बजे से अन्ततः 02:00 बजे तक अन्ततः 02:00 बजे से सत्र 08:00 बजे तक।

प्रबन्धक


शिक्षिका अधीक्षक
हॉस्पिटल ब्लॉक

पू०स०


प्रतिनिधि

रा०म०ले०अ०स०/प्रशि०/2019/

तददिनांक

निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
नर्सिंग अधीक्षिका डा० राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, (हॉस्पिटल ब्लॉक, गोमती नगर लखनऊ) को सूचनाार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप अपने निर्देशन में स्कूल ऑफ नर्सिंग बाबा एजुकेशन सोसाइटी इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरा मेडिकल के जी०एन०एन० प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने की सूची प्रस्तुत की जायेगी। उन छात्र/छात्राओं को अपने सत्र में प्रशिक्षण प्रदान कराना सुनिश्चित करें।
निदेशक, डा० राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ
सहायक लेखा अधिकारी, डा० राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, गोमती नगर लखनऊ को इस आशय से प्रेषित की उपरोक्त प्रशिक्षणार्थियों का शुल्क जमा करवाने का कष्ट करें।

Baba Educational Society
Institute Of Paramedical
College of Nursing
Chinhua, Lucknow-226028


शिक्षिका अधीक्षक
हॉस्पिटल ब्लॉक

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, संघीय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
लखनऊ।

लखनऊ दिनांक 1/11/2019

संख्या-प्रशि0प्रको0/02/2014 /

विषय: जी0एन0एन0 छात्र/छात्राओं को व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया निदेशक, बाबा एजुकेशन सोसाइटी एण्ड इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स, लखनऊ के पत्र संख्या-486/2019, दिनांक 01.11.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि महानिदेशालय के पत्र संख्या-प्रशि0प्रको0/02/2014 /4313 दिनांक 30.08.2019 में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिनहट का अंकन नहीं है जिसके कारण मुख्य चिकित्सा अधिकारी लखनऊ द्वारा चिकित्सा अटैचमेंट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिनहट, लखनऊ का अटैचमेंट आदेश निर्गत नहीं किया गया है।

इस सम्बन्ध में कहना है कि शासन के पत्र 3731/पाच-8-2014-एन(136)/2008, टीडसीए दिनांक 03.12.2014 में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिनहट लखनऊ का अंकन किया गया है किन्तु महानिदेशालय के पत्र दिनांक 30.08.2019 में उक्त त्रुटिपूर्ण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिनहट लखनऊ का अंकन नहीं किया गया है।

उक्त अवसर पुरा अनुरोध है कि बाबा एजुकेशन सोसाइटी एण्ड इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स, लखनऊ में प्रशिक्षणरत (60) जी0एन0एन0 छात्र/छात्राओं को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिनहट लखनऊ में वर्ष 2019 व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने का कष्ट करें। शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,

निदेशक (प्रशिक्षण)
तददिनांक

संख्या : प्रशि0प्रको0/02/2014 / 4336

प्रतिलिपि : निदेशक, बाबा एजुकेशन सोसाइटी एण्ड इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स, लखनऊ को उनसे पत्र संख्या-486/2019, दिनांक 01.11.2019 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संपुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)

Baha Educational Society
Institute Of Paramedical
College of Nursing
Chinhhat, Lucknow-226028

प्रभार

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक,
डा० राम मनोहर लोहिया,
संयुक्त चिकित्सा गोमती नगर,
लखनऊ।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक,
जिला महिला चिकित्सालय,
मेरठ।

संख्या- प्रशि०प्रको० / /2014/

लखनऊ, दिनांक- 22/4/2015

विषय- जी०एन०एम० छात्र/छात्राओं को व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या-1013/बीव-8-2015-एन(138)/2008, टी०सी० दिनांक-23.04.2015 का संदर्भ ग्रहण करें।

इस संबंध में कहना है कि शासन के पत्र संख्या-1013/बीव-8-2015-एन(138)/2008, टी०सी० दिनांक-23.04.2015 एवं शासनादेश संख्या-2519/बीव-8-2012-एन० (138)/2008, दिनांक- 25.10.2012 में दी गयी शर्तों के अन्तर्गत बाबा एजुकेशन सोसाइटी एवं इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स, 56- मटियारी, चिनहट, लखनऊ को एन सीएन सहित संयुक्त चिकित्सालय, गोमती नगर, लखनऊ एवं आई०आई०एम०टी० कालेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, गंगानगर, मेरठ जिला महिला चिकित्सालय मेरठ में प्रशिक्षण जी०एन०एम० छात्र/छात्राओं को जिला महिला चिकित्सालय मेरठ में व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने की अनुमति निम्न शर्तों व प्रतिबंधों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

- सामान्य उपचारिका प्रशिक्षुओं की डिप्युटी जिला चिकित्सालय पर नियमित रूप से कार्यरत उपचारिकाओं के साथ लगायी जायेंगी जिससे मरीजों को चिकित्सीय सुविधा सुचारु रूप से प्राप्त होसी तथा मिजी सस्था की उपचारिका प्रशिक्षुओं के राजकीय चिकित्सालयों में कोई दुर्घटना/दौरियों की क्षति होने की सम्भावना अर्थात्क जिला चिकित्सालय संबंधित सस्था को पत्र प्रेषित कर कार्यवाही को तत्पुर्व करेगी तथा मुख्य चिकित्सा अर्थात्क उपचारिका प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण पूर्ण होने पर व्यवहारिक प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र निर्गत करेंगे। उक्त व्यवहारिक प्रशिक्षण न्यूनतम 06 माह की अवधि का होगा। सामान्य उपचारिका प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण सस्था द्वारा प्रत्येक उपचारिका प्रशिक्षु की दर से छ माह हेतु संपन्न-1000/- टुअन चार्जज के रूप में जमा किया जायेगा।
- मिजी क्षत्र के सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण सस्थानों को अधिकतम 06 बैठकों ही व्यवहारिक प्रशिक्षण दिए जाने की अनुमति प्रदान की जायेगी। उक्त अनुमति मुख्य उपायुक्त अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी की संयुक्त आराध पर महानिदेशक की सन्तुति के आधार पर २ सत्र द्वारा 06 वर्षों हेतु निर्गत की जायेगी।
- सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण संस्था जो शासन द्वारा निर्मित अनुमति का नवीनीकरण गुणवत्ता के आधार पर वर्ष-प्रति वर्ष प्रस्तर-3 में वर्णित अवधि तक के लिये महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र० द्वारा किया जायेगा।
- उक्त सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण सस्थानों को दी गयी अनुमति को बिना कोई कारण बताये किसी भी समय शासन द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय

अपर निदेशक(प्रशिक्षण)

तद्दिनांक

पत्र संख्या-प्रशि०प्रको०/2398/2014 8365-67

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग-8,

2. बाबा एजुकेशन सोसाइटी एवं इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स, 56- मटियारी, चिनहट, लखनऊ

3. आई०आई०एम०टी० कालेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, गंगानगर, मेरठ.

Baba Educational Society
Institute Of Paramedical
College of Nursing
Chinhhat, Lucknow-226028

अपर निदेशक(प्रशिक्षण)

पत्रक,

निदेशक एवं प्रमुख अधीक्षक,
डा० राम मनोहर लोहिया संयुक्त
चिकित्सालय, गोमती नगर, लखनऊ।

सेवा में,

निदेशक,
स्कूल आफ नर्सिंग बाबा एजूकेशन सोसाइटी
इन्स्टीट्यूट आफ पैरा मेडिकल

संख्या-

रा०म०लो०चि०/व्यव० प्रशि०/2019/ 4743

दिनांक 23 जनवरी 2019

विषय-

जी०एन०एम०(सत्र-2018-19) के 60 प्रशिक्षणार्थियों के व्यवहारिक प्रशिक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आप अपने पत्रक-006/19 दिनांक 03.01.2019 का संदर्भ ग्रहण करें। संदर्भित पत्र के माध्यम से आप द्वारा अपने संस्थान के जी०एन०एम० के कुल (60) छात्र/छात्राओं को इस चिकित्सालय से व्यवहारिक (क्लीनिकल) प्रशिक्षण कराये जाने हेतु अनुरोध किया है। महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या- प्रशि०प्रक०/02/2014/02 दिनांक 02.01.2019 में निहित शर्तों के अन्तर्गत आपके संस्थान के उक्त प्रशिक्षणार्थियों को दिनांक 01-02-2019 से छः माह का व्यवहारिक प्रशिक्षण निम्न शर्तों के अधीन प्रदान किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है-

- 1- प्रशिक्षण हेतु ₹० 100000 प्रति छात्र शुल्क जमा करना सुनिश्चित करें। शुल्क जमा करने के उपरान्त प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
- 2- व्यवहारिक प्रशिक्षण दो बैच में प्रदान किया जायेगा। प्रातः 8.00 बजे से अपरान्ह 2.00 बजे तक अपरान्ह 2.00 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक।
- 3- प्रारम्भ होने की तिथि से छः माह तक इस बैच के प्रत्येक छात्र को नियमित रूप से उपस्थित होना चिकित्सालय में प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- 4- प्रशिक्षण हेतु जी०एन०एम० छात्र/एन०एम० छात्र/छात्राओं को कोई वित्तीय सहायता इस संस्थान द्वारा नहीं दी जायेगी।
- 5- इस बैच में केवल उन्हीं (60) छात्र/छात्राओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जिनका शुल्क जमा द्वारा जमा किया जायेगा तथा शुल्क जमा करते समय छात्र/छात्राओं की सूची इस कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।

भवदीय,

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
उक्त दिनांक

पु०सं०: निदे०प्र०अधी०/रा०म०लो०चि०/प्रशि०/2019/

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- 1- नर्सिंग अधीक्षिका, डा० राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय, गोमती नगर, लखनऊ को सूचनार्थ एवं इस निदेश के साथ प्रेषित कि आप अपने निर्देशन में प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान कराना सुनिश्चित करें।
- 2- निदेशक एवं प्रमुख अधीक्षक, डा० राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय, गोमती नगर, लखनऊ।
- 3- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, प्रशिक्षण अनुभाग, उ०प्र०, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक